भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1777
उत्तर देने की तारीख-13/02/2023

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन

†1777. श्री कृष्णपालसिंह यादव:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
डॉ. सुजय विखे पाटीलः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(ख) देश में विश्वविद्यालयों के लिए नए बुनियादी ढांचे के आवंटन के उद्देश्य को लागू करने के लिए आरयूएसए के तहत आवंटित बजट का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या आरयूएसए देश के युवाओं और अनुसंधान विद्वानों के लिए रूसा के तहत रोजगार के नए अवसर खोलने पर विचार करता है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें अनुसंधान के किसी नए क्षेत्र पर क्या ध्यान दिया गया है;
(ङ) क्या आरयूएसए गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए भी उच्च शिक्षा में सुधार को ध्यान में रखता है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क): राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य नए संस्थानों और विशिष्ट राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्तपोषित करना है, ताकि निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। सभी राज्यों/संघ

राज्य क्षेत्रों (लक्षद्वीप को छोड़कर) ने रूसा में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की थी और योजना के तहत इन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता स्वीकृत की गई है।

(ख): रूसा के तहत, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, 157 विश्वविद्यालयों को 'विश्वविद्यालयों को बुनियादी ढांचा अनुदान' के घटक के तहत 1959.02 करोड़ रु. अनुमोदित किए गए हैं।

(ग) से (च): शिक्षा के समवर्ती सूची में होने के कारण, शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है। हालांकि, केंद्रीय सहायता की आवश्यकता को पहचानते हुए, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए रूसा सहित विभिन्न योजनाओं को लागू किया है। रूसा के तहत, उच्च शिक्षा में सुधार के लिए 'चुनिंदा राज्य विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता बढ़ाने', 'विश्वविद्यालयों को बुनियादी ढांचा अनुदान', 'कॉलेजों को बुनियादी ढांचा अनुदान' आदि जैसे विभिन्न घटकों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नए पाठ्यक्रम खोलने में सहायता के लिए निधियों का उपयोग करने की छूट दी गई है। विभिन्न घटकों के तहत स्वीकृत कुल राशि का राज्य-वार विवरण https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/Funds_under_RUSA.pdf पर उपलब्ध है।

*****